महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, 87–राजपुर रोड, देहरादून।

पत्रांकः नि0 1596 / 3–3 (आर.ई. / पी.ई.–एल.ई.–समर्पण) दिनाकः देहरादून 14 फरवरी 2017।

सेवा में,

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

विषय :– आयोजनेत्तर / आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31 मार्च 2017 तक सम्भावित व्यय को देखते हुये बचत की धनराशि के समर्पण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में अवगत कराना है कि **माह जनवरी 2017** के बी0एम0 के अनुसार अधिकांश कार्यालयों द्वारा उन्हें आयोजनेत्तर / आयोजनागत पक्ष की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अत्यधिक कम व्यय किया गया है जबकि अधिकांश योजनाओं में शासन द्वारा उनमें कुल स्वीकृत आय–व्ययक का मात्र लगभग 50% धनराशि ही अवमुक्त की गयी है जिसके पूर्ण व्यय होने के उपरान्त ही अवशेष 50% धनराशि अवमुक्त होने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष समाप्ति में अब **केवल लगभग डेढ़ माह** ही **अवशेष** रह गया है परन्तु कई कार्यालयों में **कई महत्वपूर्ण मानक मदों** में भी व्यय की प्रगति अत्यधिक न्यून है जबकि अन्य कार्यालयों को इन मदों में धनराशि की नितान्त आवश्यकता है। व्यय न करने वाले कार्यालयों के कारण विभाग की कुल व्यय प्रगति कम होने से शासन से धनराशि अवमुक्त कराना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत कृपया **आयोजनेत्तर / आयोजनागत** पक्ष की विभिन्न योजनाओं में अब तक आपको आवंटित धनराशि का तत्काल अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाये क्योंकि यह धनराशि आपको आपसे प्राप्त मांग के सापेक्ष ही आवंटित की गयी है। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि आवंटित धनराशि का शतप्रतिशत उपयोग **31 मार्च 2017 तक** सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में अन्तिमरूप से आँकलित बचत की धनराशि को अनिवार्य रूप से **दिनांक 22.02.2017** तक **ऑन लाईन समर्पित** कर दिया जाये तथा ऐसी समर्पित धनराशि की प्रविष्टि सम्बन्धित कोषागार में कराते हुये **प्रिन्टआउट की कोषाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित प्रति** सम्बन्धित सहायक के माध्यम से इस कार्यालय को **हस्तगत करायें** ताकि इस प्रकार HOD कोड पर वापस प्राप्त धनराशि को अन्य कार्यालयों को आवंटित करते हुये शासन से अवमुक्त धनराशि का अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सके। उपरोक्तानुसार धनराशि समर्पण की गयी धनराशि के सम्बन्ध में **ठोस औचित्य** स्पष्ट किया जाये। **ऑन लाईन समर्पण की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हो गयी है, यह सुनिश्चित करना सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।**

उक्त के अतिरिक्त यदि किसी योजना में उपलब्ध धनराशि के अलावा और मांग हो तो इस सम्बन्ध में भी **योजना / मानक मदवार मांग प्रस्ताव** उक्त के साथ ही प्रेषित किया जाये।

प्रकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होने से कृपया इस पर अपना व्यक्गित ध्यान देते हुये निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

14-2-17

(गम्भीर सिंह)
प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

संख्याः नि0 1596 / 3–3 (आर.ई. / पी.ई.–एल.ई.–समर्पण) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।**
2. **वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।**
3. **उप वन संरक्षक,** आइ0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

14-2-17

(गम्भीर सिंह)
प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।